# न्यायालय उपजिलाधिकारी औरैया।

वाद संख्या

धारा 80(1) उ0प्र0राजस्व संहिता 2006

मौजा – लखनापुर परगना व जिला औरैया

सुभाषचन्द्र एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट एच–38 एचआईजी फ्लेट बाईपास रोड आगरा आदि

बनाम

ग्राम पंचायत लखनापुर

## निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थी सुभाषचन्द्र एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट एच–38 एचआईजी फ्लेट कमलानगर बाईपास रोड आगरा द्वारा चेयरमैन अंशुमान त्रिपाठी पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी भगवतीगंज दिबियापुर परगना व जिला औरैया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2017 अन्तर्गत धारा 80(1) उ0प्र0राजस्व संहिता के अन्तर्गत वास्ते ग्राम लखनापुर परगना व जिला औरैया की खाता सं0 439 की गाटा सं0 544 रकवा 1.275हे0 लगानी रू0 60.00 में से गाटा संख्या 544 रकवा 0.405 को प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर जरिए उद्धरण खतौनी दखील है, को अकृर्षिक धोषित किये जाने की याचना की गयी है, जिस पर नियमानुसार तहसीलदार औरैया द्वारा धारा 80 (1)उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 के तहत स्थलीय जॉच आख्या दिनांक 12.12.2017 प्राप्त की गयी। तहसीलदार औरैया ने अपनी स्थलीय जॉच आख्या में कहा है कि मौजा लखनापुर परगना व जिला औरैया की वर्तमान खतौनी 1422–1427फ0 के खाता सं0 439 की गाटा सं0 544 रकवा 1.275हे0 लगानी रू0 60.00 में से गाटा सं0 544 रकवा 0.405हे0 पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, वृक्षा रोपण, कुक्कुट पालन, बागवानी का कार्य नही किया जा रहा है मौके पर उक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान हेतु इमारत का निर्माण हो रहा है जिसकी मौके की फोटो खिचवाकर पत्रावली पर दाखिल की गयी है तथा आवादी के रूप में प्रयोग की जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा 80 (1) के प्राविधानों के तहत खाता सं0 439 की गाटा सं0 544 रकवा 0.405हे0 पर सरकारी रेट से मूल्यांकन रेट सूची के अनुसार 13500000 के अनुसार 0.405X13,50,0000/= 54,67,500/– रू0 होती है। जिसका नियमानुसार एक प्रतिशत निर्धारित शुल्क मु0 54,675/– रू0 (चौव्वन हजार छः सौ पछत्तर रूपये) होता है जिसे भारतीय स्टेट बैंक शाखा औरैया में जमा किया गया जिसकी चालान की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है।

2

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य एवं तहसीलदार औरैया की स्थलीय जॉच आख्या दिनांक 12.12.2017 का परीक्षण, अनुशीलन किया गया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार औरैया की आख्या अन्तर्गत धारा 80 (1) उ0प्र0रा0संहिता 2006 के तहत स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नही है। मौजा लखनापुर की गाटा संख्या 544 रकवा 0.405हे0 को अकृषक इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है, कि भविष्य में उक्त रकवा शैक्षणिक संस्थान के प्रयोजन में ही लाया जायेगा। अतः

## आदेश

तहसीलदार औरैया की आख्या दिनांक 12.12.2017 अन्तर्गत धारा 80(1) उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 के तहत स्वीकार की जाती है, तथा मौजा लखनापुर परगना व जिला औरैया की खतौनी वर्ष 1422–1427फ0 के खाता सं0 439 की गाटा सं0 544 रकवा 1.275हे0 लगानी रू0 60.00 में से गाटा संख्या 544 रकवा 0.405हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता है तथा मालगुजारी नियमानुसार अवमुक्त की जाती है। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी होवें। आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार औरैया को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवें।

दिनांक 12/12/17

12/12/17
(अमित कुमार)
उपजिलाधिकारी
औरैया।

02/1/2018

160
30/12/17
02/01/2018

02/01/18